रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2014/चैत्र 5, 1936
No. 766] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2014/CHAITRA 5, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

का.आ. 895(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 04 फरवरी, 1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 0.000 कि.मी. से 334.000 कि.मी. (कानपुर – वाराणसी सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 1911 (अ), दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर चार लेन इलाहाबाद बाईपास 158.000 कि.मी. से 242.708 कि.मी. के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 28.03.2013 को प्रस्तुत बोलियों हेतु, मैसर्स इलाहाबाद बाईपास पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 76 माल रोड, मऊ–453441, मध्य प्रदेश भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांरण (ओएमटी) आधार पर उत्तर प्रदेष में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर इलाहाबाद बाईपास (जिसमें गंगा ब्रिज पैकेज एबीपी–1 सम्मिलित है) 158.000 कि.मी. से 242.708 कि.मी. (नया चैनेज कि.मी. 626.753 से कि.मी. 713.461) तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 17.12.2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया

है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या 1911 (अ), दिनांक 18 अगस्त, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हों या करने से लोप करा दी गयी हों, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त, प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर चार लेन इलाहाबाद बाईपास 158.000 कि.मी. से 242.708 कि.मी. (नया चैनेज कि.मी. 626.753 से कि.मी. 713.461) के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर दस करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले बाइपास जिनकी कुल लम्बाई 83.697 कि.मी. है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से और पचास करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाली संरचना के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारिणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

वर्ष 2007–08 के लिए पचास करोड़ रुपये से अधिक की लागत की संरचना और उक्त सेक्शन के भाग के उपयोग के लिए फीस की आधार दर

प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर रुपये में						
स्थायी पुल अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित बाइपास (बाईपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास (बाईपासों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना से हिसाब से और उपर्युक्त के अतिरिक्त पचास करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाली संरचना के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क भी ऐसे टोल प्लाजों पर शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	प्लाजा का अवस्थान	बाईपास खण्ड	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1	कौशंबी जिले में सिहोरी उपहार गांव के पास 161.850 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में अतरामपुर गांव के पास 185.544 कि.मी. पर	158.00 कि.मी. से 185.544 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	26.533 कि.मी. और 1.011 कि.मी. का पुल (163.269 कि.मी. से 164.280 कि.मी.) जिसकी अनुमानित लागत 153.32 करोड़ रुपये है।
2	कौशंबी जिले में सिहोरी उपहार गांव के पास 161.850 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में दीहा गांव के पास 196.605 कि.मी. पर	158.00 कि.मी. से 196.605 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	37.594 कि.मी. और 1.011 कि.मी. का पुल (163.269 कि.मी. से 164.280 कि.मी.) जिसकी अनुमानित लागत 153.32 करोड़ रुपये है।
3	कौशंबी जिले में सिहोरी उपहार गांव के पास 161.850 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में भोपतपुर गांव के पास 216.815 कि.मी. पर	158.00 कि.मी. से 216.815 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	57.804 कि.मी. और 1.011 कि.मी. का पुल (163.269 कि.मी. से 164.280 कि.मी.) जिसकी अनुमानित लागत 153.32 करोड़ रुपये है।
4	कौशंबी जिले में सिहोरी उपहार गांव के पास 161.850 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में सुजौला गांव के पास 239.950 कि.मी. पर	158.00 कि.मी. से 242.708 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	83.697 कि.मी. और 1.011 कि.मी. का पुल (163.269 कि.मी. से 164.280 कि.मी.) जिसकी अनुमानित लागत 153.32 करोड़ रुपये है।
5	इलाहाबाद जिले में अतरामपुर गांव के पास 185.544 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में दीहा गांव के पास 196.605 कि.मी. पर	185.544 कि.मी. से 196.605 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	11.061 कि.मी.
6	इलाहाबाद जिले में अतरामपुर गांव के पास 185.544 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में भोपतपुर गांव के पास 216.815 कि.मी. पर	185.544 कि.मी. से 216.815 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	31.271 कि.मी.
7	इलाहाबाद जिले में अतरामपुर गांव के पास 185.544 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में सुजौला गांव के पास 239.950 कि.मी. पर	185.544 कि.मी. से 242.708 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	57.164 कि.मी.
8	इलाहाबाद जिले में दीहा गांव के पास 196.605 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में भोपतपुर गांव के पास 216.815 कि.मी. पर	196.605 कि.मी. से 216.815 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	20.21 कि.मी.
9	इलाहाबाद जिले में दीहा गांव के पास 196.605 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में सुजौला गांव के पास 239.950 कि.मी. पर	196.605 कि.मी. से 242.708 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	46.103 कि.मी.
10	इलाहाबाद जिले में भोपतपुर गांव के पास 216.815 कि.मी. पर और इलाहाबाद जिले में सुजौला गांव के पास 239.950 कि.मी. पर	216.815 कि.मी. से 242.708 कि.मी. और प्रतिक्रमात्	25.893 कि.मी.

2. ऐसे वाहन जो कि एक सेक्शन के भाग का उपयोग करते हैं, को वाहन प्रवर्ग अनुसार संबंधित टोल प्लाजा पर निर्धारित राषि का संदाय करना होगा एवं संपूर्ण सेक्षन के उपयोग की अवस्था में पूर्ण राशि का भुगतान प्रथम टोल प्लाजा पर करने के पश्चात् संदाय रसीद का अवलोकन आगे आने वाले टोल प्लाजा पर करा कर संपूर्ण सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं।

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013—14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी –1 में तथा 2 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संषोधन नहीं किया जायेगा।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से वसूल की जाने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1359.63 करोड़ रुपये (एक हजार तीन सौ उन्सठ करोड़ तिरेसठ लाख रुपए मात्र) है। रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, और बोली की नियत तारीख तक उसमें आगे किये गये संषोधनों के अधीन, लागू दरों पर किया जायेगा। पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने की तारीख के बाद ली जाने वाली उपयोग शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा । यदि किसी कारण से, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 90 दिन तक पहले/बाद में कर दी जाती है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/13–14/जीसी/इलाहाबाद (इलाहाबाद बाईपास)/ओएमटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2014

S.O. 895(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 – Km 334.000 (Kanpur – Varanasi Section) of National Highway number 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 1911(E) dated 18th August, 2011 authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of the four-lane Allahabad Bypass section from km 158.00 to km 242.708 of National Highway Number 2 in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 17.12.2013 with M/s Allahabad Bypass Pathways Private Limited having its registered office at 76 Mall Road, Mhow-453441, Madhya Pradesh, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 28.03.2013 for the Operation and Maintenance of Allahabad Bypass (including Ganga Bridge Package ABP-1) Section from km 158.000 to km 242.708 (new chainage km 628.753 to km 713.461) on NH-2 in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 1911(E) dated 18.08.2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at one and half times the base rate for the year 2007-08, specified in Table-I for 83.697 km length of the bypass and at the base rate for the year 2007-08, specified in Table-II for the use of the structure costing more than rupees fifty crore and forming part of the said section on the type of vehicles specified in column (2) of Table-I for the use of the four-lane Allahabad Bypass Section from km 158.000 - km 242.708 (new chainage km 628.753 to km 713.461) of National Highway Number 2 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-I

S. No.	Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4	Three-axle commercial vehicles	2.40
5	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-II

Base rate of fee for the use of the structure costing more than rupees fifty crore and forming part of the said section for the year 2007 -08:

Base rate of fee (Rupees per vehicle per one way trip)						
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle Commercial Vehicle**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees fifteen crore and up to rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees one hundred crore and upto rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable for the use of the following bypasses(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plazas at one and half times of the base rate mentioned in Table-I above for the length of bypass(es) specified and in addition to this, the fee levied and collected for the permanent bridge and tunnel, costing Rs. 50 cr. (Rupees fifty crore) or more at the base rate mentioned in Table-II above, for such Toll Plaza(s):

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Section of Bypass	Length (in km) for which Fee is payable
1	At **km 161.850** near village Sihori Upahar in Dist. Kaushambi and at **km 185.544** near village Atrampur in Dist. Allahabad.	km 158.00 – km 185.544 and vice versa	26.533 km and bridge of 1.011 km (from km 163.269 to km 164.280), the estimated cost of which is Rs. 153.32 crore.
2	At **km 161.850** near village Sihori Upahar in Dist. Kaushambi and at **km 196.605** near village Diha in Dist. Allahabad.	km 158.00 – km 196.605 and vice versa	37.594 km and bridge of 1.011 km (from km 163.269 to km 164.280), the estimated cost of which is Rs. 153.32 crore.

3	At **km 161.850** near village Sihori Upahar in Dist. Kaushambi and at **km 216.815** near village Bhopatpur in Dist. Allahabad.	km 158.00 – km 216.815 and vice versa	57.804 km and bridge of 1.011 km (from km 163.269 to km 164.280), the estimated cost of which is Rs. 153.32 crore.
4	At **km 161.850** near village Sihori Upahar in Dist. Kaushambi and at **km 239.950** near village Sujaula in Dist. Allahabad.	km 158.00 – km 242.708 and vice versa	83.697 km and bridge of 1.011 km, the estimated cost of which is Rs. 153.32 crore.
5	At **km 185.544** near village Atrampur in Dist. Allahabad and at **km 196.605** near village Diha in Dist. Allahabad.	km 185.544 – km 196.605 and vice versa	11.061 km
6	At **km 185.544** near village Atrampur in Dist. Allahabad and at **km 216.815** near village Bhopatpur in Dist. Allahabad.	km 185.544 – km 216.815 and vice versa	31.271 km
7	At **km 185.544** near village Atrampur in Dist. Allahabad and at **km 239.950** near village Sujaula in Dist. Allahabad.	km 185.544 – km 242.708 and vice versa	57.164 km
8	At **km 196.605** near village Diha in Dist. Allahabad and at **km 216.815** near village Bhopatpur in Dist. Allahabad.	km 196.605 – km 216.815 and vice versa	20.21 km
9	At **km 196.605** near village Diha in Dist. Allahabad and at **km 239.950** near village Sujaula in Dist. Allahabad.	km 196.605 – km 242.708 and vice versa	46.103 km
10	At **km 216.815** near village Bhopatpur in Dist. Allahabad and at **km 239.950** near village Sujaula in Dist. Allahabad.	km 216.815 – km 242.708 and vice versa	25.893 km

2. The vehicle using only a part of the section by crossing a fee plaza shall pay the specified fee for that category of the vehicle for that plaza only and the vehicle using the whole section shall have an option to pay the whole fee at the first fee plaza and cross another fee plaza by showing the fee receipt.

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be permitted to use the National Highway or cross the toll plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from date of COD is Rs. 1359.63 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Fifty Nine Crores and Sixty Three Lakhs only). From the Commercial Operations Date (COD) user fee shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R 838(E), dated 5th December, 2008 and further amended till bid due date. After the day on which the capital cost is recovered, the user fee chargeable shall be reduced to 40 % of the rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed up to 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineer.

[F. No. NHAI/CO/13-14/GC– Allahabad (Allahabad Bypass)/OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.